

**न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)**

॥ मूल वाद मे डिकी ॥

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह . आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 57/2022 राजस्व वाद

01. दुर्गालाल पुत्र नाथुलाल जाति ढोली आयु वयस्क निवासी-चौहानों की कमेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

— वादी

**बनाम**

01. दिलीप कुमार पुत्र श्री नाथु जाति ढोली आयु वयस्क निवासी-चौहानों की कमेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

02. रामा पुत्र श्री मोडा जाति ढोली आयु वयस्क निवासी-चौहानों की कमेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0). — प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत विभाजन आराजियात**

वादीगण की ओर से श्री मुकेश सिंह तंवर, एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 12.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

सरहद जगदीश पटवार हल्का उमरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 39 के आराजी नम्बर-1851 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 के मध्य हक हिस्से से मिट्स एण्ड वाउण्ड के आधार पर शामलाती रास्ते को दर्ज करते हुए निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-  
(1)खातेदार का नाम- दुर्गालाल पिता नाथुलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति ढोली सा0 चौहानों की कमेरी खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	1851/1	0.1785 हैक्टयर
योग	किता 01	0.1785 हैक्टयर

(2)खातेदार का नाम- दिलीप कुमार पिता नाथुलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति ढोली सा0 जगदीश खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	1851/2	0.0162 हैक्टयर
योग	किता 01	0.0162 हैक्टयर

(3)शामलाती बदस्तूर वर्तमान खाता संख्या 39 अनुसार यथावत-(रास्ता)

10/8/25

क्र.सं	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर मे)
01.	1851 / 3	0.0076 हेक्टर
योग	किता 01	0.0076 हेक्टर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जाये।

तहसीलदार करेडा को तहसीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

( जोगेन्द्र सिंह )  
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

**न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)**

पीठारीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह . आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 57/2022 राजस्व वाद

01. दुर्गालाल पुत्र नाथुलाल जाति ढोली आयु वयस्क निवासी-चौहानों की कमेरी तहसील करेड़ा जिला

भीलवाड़ा(राज0)

— वादी

**बनाम**

01. दिलीप कुमार पुत्र श्री नाथु जाति ढोली आयु वयस्क निवासी-चौहानों की कमेरी तहसील करेड़ा जिला

भीलवाड़ा(राज0)।

02. रामा पुत्र श्री मोडा जाति ढोली आयु वयस्क निवासी-चौहानों की कमेरी तहसील करेड़ा जिला

भीलवाड़ा(राज0)।

03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0),

— प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा— 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत विभाजन आराजियात**

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश सिंह तंवर
2. एकपक्षीय—
3. परोकार सरकार

—अधिवक्ता वादी

— प्र.सं. 01 लगायत 02

—प्रति.सं. 03

दिनांक— 12.08.2025

**:: निर्णय ::**

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद जगदीश पटवार हल्का उमरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर हक हिस्से की भूमि को विकसित करने मे, फसल, लगान आदि जमा कराने एवं ऋण लेने में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के बाद तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

**आदेश**

सरहद जगदीश पटवार हल्का उमरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता सख्या 39 के आराजी नम्बर—1851 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 01 लगायत 02 के मध्य हक हिस्से से मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर शामलाती रास्ते को दर्ज करते हुए निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1)खातेदार का नाम— दुर्गालाल पिता नाथुलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति ढोली सा0 चौहानों की कमेरी खातेदार के नाम पर

1987

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर मे)
01.	1851/1	0.1785 हेक्टर
योग	किता 01	0.1785 हेक्टर

(2)खातेदार का नाम-दिलीप कुमार पिता नाथुलाल हिरसा सम्पूर्ण जाति ढोली सा0 जगदीश खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर मे)
01.	1851/2	0.0162 हेक्टर
योग	किता 01	0.0162 हेक्टर

(3)शामलाती बदस्तूर वर्तमान खाता संख्या 39 अनुसार यथावत-(रास्ता)

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर मे)
01.	1851/3	0.0076 हेक्टर
योग	किता 01	0.0076 हेक्टर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेडा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

( जोगेन्द्र सिंह )  
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

( जोगेन्द्र सिंह )  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)